

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

इसमें है कि काम, हुक्म प्राप्त करने
करके किम नामा निष्पत्ति
प्राप्त करने के लिए
मार्गदर्शक के माध्यम से
सर्व कार्य सुचारु रूप से
चलाने के लिए



अपवन्द अशिक्षी एवं
सहायक फोफ्टर
घासपुरा (बीनबाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारव, P.A.S.

करण संख्या 588/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उपघान

श्री. के. आर. धारव

निवाला फतेहपुर (बोरसा) बनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

श्री. के. आर. धारव

निवाला फतेहपुर (बोरसा)

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री. के. आर. धारव
अधीनस्थ : श्री. के. आर. धारव

निर्णय

दिनांक 25/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर फतेहपुर

432/184 खसरा नं. 255

कुल किता रकबा हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभावक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम संवत् 2071 से 2076 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता रकबा हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। फीसवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



के. आर. धारव
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुकाबला पत्रावली; पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।